पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–04/2016 सा0प्र0 10104

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

04 SEP 2018

प्रेषक,

बिजय कुमार श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव।

सामान्य

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 30-7-18

विषय :– विवाहित महिलाओं को उनके पिता के नाम से जाति प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र संख्या–980 दिनांक–10.07.2018 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के समय महिला अभ्यर्थियों द्वारा अपने पति के नाम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र समर्पित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 द्वारा जाति प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र पिता के नाम से निर्गत करने का प्रावधान किया गया है। अतः अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र संख्या–673 दिनांक–08.03.2011 के प्रावधानानुसार विवाहित महिलाओं को जाति प्रमाण–पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

1196
07-09-18

1536
8/9/18

विश्वासभाजन

Srivastava
26/07/18

(बिजय कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।

समाहरणालय, शेखपुरा

सामान्य शाखा

ज्ञापांक 788 /सा. दिनांक 22/09/2018

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा/सभी अंचल अधिकारी, शेखपुरा, जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

FILE PATH-D/NAVLESH – HINDI LETEER

वरीय उप-समाहर्त्ता प्रभारी
सामान्य शाखा, शेखपुरा
22/9/18

Scanned by CamScanner